

CAPE TOWN ASSOCIATION OF APARTMENTS OWNERS

PLOT NO. - GH 01/A, SECTOR 74, NOIDA, DISTT- GAUTAM BUDH NAGAR, U.P

Regd. No GBN/003245/2019-20

ARUN SHARMA
President
9717596746

Mahesh Chandra Yadav
Vice President
9650208690

Krishna Kumar Sharma
Secretary
9891315949

Praveen Bhardwaj
Treasurer
9811136974

Members

Ajai Kumar Tandon

9936529111

Krishnendu Aditya

8527344322

Dr Manjula Kiran

9990434930

Sunil Dangwal

9971854226

पत्रांक : CTAOA/CMO/01/2019-20

दिनांक : 07.10.2019

माननीय श्री योगी आदित्य नाथ जी
मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

ना० मुख्यमंत्री जी के
आवास पर प्राप्त पत्र

12 DEC 2019

प्राप्त सी० एम० - 2

12 DEC 2019

आख्या

विषय : सुपरटेक लिमिटेड द्वारा किए जा रहे "आर्थिक अपराध" एवं "अन्य अवैध गतिविधियों" के संबंध में।

संदर्भ : निम्नलिखित पत्र एवं नोटिस का संदर्भ गृह्य करें :

1. नोएडा अर्धरिटी द्वारा की गयी मध्यस्थता बैठक दिनांक 04.06.2019 के कार्यव्रत (पत्र संख्या नोएडा/गु० हा०/2017/3127 दिनांक 19.06.2019 (संलग्नक 1))।
2. नोएडा अर्धरिटी द्वारा जारी की गयी जांच आख्या एवं नोटिस संदर्भ संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2019/255 दिनांक 30.05.2019 (संलग्नक 2)।
3. नोएडा अर्धरिटी द्वारा जारी की गयी नोटिस संदर्भ संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2019/326 दिनांक 03.07.2019 (संलग्नक 3)।
4. नोएडा अर्धरिटी द्वारा जारी की गयी नोटिस संदर्भ संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2019/441 दिनांक 02.09.2019 (संलग्नक 4)।
5. नोएडा अर्धरिटी, कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल)-प्रथम द्वारा प्रेषित पत्र, पत्रांक : नोएडा/व० प्र०(जल)-प्रथम/2019/545 दिनांक 22.07.2019. (संलग्नक 5)।
6. कार्यालय प्रबंध निदेशक पी वी वी एन एस द्वारा सुपर टेक को नोटिस/पत्र पत्रांक 5462/प्र नि/प.वि.नि.लि. में/वा०/सी०2 नोएडा दिनांक 26.09.2019. (संलग्नक 6)।
7. एओए द्वारा आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 15.09.2019 (संलग्नक 7)।
8. एओए द्वारा आदरणीय सिटी मैजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 15.09.2019 (संलग्नक 8)।
9. एओए द्वारा आदरणीय एसएसपी महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 15.09.2019 (संलग्नक 9)।
10. एओए द्वारा आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 15.09.2019 (संलग्नक 10)।
11. आरटीआई संख्या - 23215 (संलग्नक 11)।
12. एओए द्वारा आदरणीय सीईओ नोएडा को लिखे पत्र दिनांक 26.04.2019 एवं 10.05.2019 (संलग्नक 12)।
13. एओए द्वारा आदरणीय सीईओ नोएडा को प्रेषित पत्र दिनांक 10.09.2019 (संलग्नक 13)।
14. एओए द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर प्रेषित शिकायत, संख्या 40014119017579 (संलग्नक 14)।
15. एओए द्वारा Radius Synergies International Pvt. Ltd को लिखे पत्र पत्रांक: CTAOA/Radius/01/2019-20 दिनांक 03.10.2019 (संलग्नक 15)।

16. एओए द्वारा प्रवर्तक को प्रेषित पत्र दिनांक 12.04.2019 (संलग्नक 16)

आदरणीय महोदय,

केप टाउन अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या-जीएच -01/ए, सेक्टर 74, नोएडा में लगभग 25000 निवासी आपके संरक्षण में रह रहे हैं, प्रार्थना, अपार्टमेंट स्वामियों के संघ में अध्यक्ष होने के दायित्व का निर्वहन करते हुए आपका ध्यान इस परियोजना के प्रवर्तक/बिल्डर द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियां, आर्थिक अपराध एवं सरकार को राजस्व की हानि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

1. आर्थिक अपराध :

उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 कि धारा 14 उपधारा (5) इस प्रकार के उपर्युक्त उप धारा (2) के अधीन अपार्टमेंट्स स्वामियों का संघ बन जाने पर सामान्य



CRCD000737699724

कृपया जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

(Handwritten signature)

12-12-19

(अजय कुमार आजा
अनु सचिव, गुप्तनगर
उत्तर प्रदेश शासन)

CAPE TOWN ASSOCIATION OF APARTMENTS OWNERS

PLOT NO. – GH 01/A, SECTOR 74, NOIDA, DISTT- GAUTAM BUDH NAGAR, U.P

Regd. No GBN/003245/2019-20

ARUN SHARMA
President
9717596746

Mahesh Chandra Yadav
Vice President
9650208690

Krishna Kumar Sharma
Secretary
9891315949

Praveen Bhardwaj
Treasurer
9811136974

Members

Ajai Kumar Tandon
9936529111

Krishnendu Aditya
8527344322

Dr Manjula Kiran
9990434930

Sunil Dangwal
9971854226

क्षेत्रों और सुविधाओं के संबंध में अपार्टमेंट का कार्यकलाप प्रबंधन प्रमोटर से उक्त संघ को अंतरित किया गया समझा जाएगा जो उसके पश्चात उनका रखरखाव करेगा।

परंतु अग्रतर यह कि यदि प्रमोटर द्वारा एकत्र की गयी ब्याज रहित अनुरक्षण जमानत धन राशि भी साझा क्षेत्रों एवं समूहिक सुविधाओं के हस्तांतरण के समय, संघ को हस्तांतरित की जाएगी।

“अपार्टमेंट स्वामियों के संघ” का गठन दिनांक 03.03.2019 को निर्वाचन द्वारा किया गया था, जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र उप निबंधक कार्यालय मेरठ द्वारा दिनांक 16.07.2019 पर जारी किया गया, संघ (एओए) एवं प्रवर्तक के बीच पहली बैठक दिनांक 20.03.2019 पर हुई जिसमें एओए द्वारा पंजीकरण हेतु दस्तावेज के साथ साथ उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के संबंध में अपार्टमेंट का कार्यकलाप प्रबंधन तंत्र अंतरित किए जाने का अनुरोध किया गया था।

• अनुरक्षण जमानत धन राशि का उपयोग प्रवर्तक द्वारा अपने व्ययसाय में किया जा रहा है
बिल्डर/प्रवर्तक द्वारा सभी अपार्टमेंट स्वामियों से रु 75 – रु 100 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से ब्याज रहित अनुरक्षण जमानत धन राशि ली गयी है, प्रवर्तक द्वारा 38 टावरों में लगभग 4413 अपार्टमेंट का अधिभोग प्रमाण पत्र 2015 में प्राप्त किया, जिसका क्षेत्रफल 56.40 लाख वर्ग फीट है, इस हिसाब से मूल राशि लगभग रु 42.30 करोड़ है एवं 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के हिसाब से 4 वर्ष की ब्याज सहित कुल राशि लगभग रु 58 करोड़ है जिसे उसने अवैध रूप से अपने पास रखा हुआ है। प्रवर्तक इस अंतरण को पिछले 6 माह से टाल रहा है।

• रखरखाव शुल्क में आर्थिक अपराध

प्रवर्तक की सहायक कंपनी एसईपीएल द्वारा “अपार्टमेंट स्वामियों के संघ” से बिना अनुमति लिए स्वयं के हिसाब से धन उपार्जन किया जा रहा है, साथ में बिना संघ की अनुमति इस धन से स्वयं से नियुक्त सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा रहा है। इस प्लॉट पर लगभग 56.40 लाख वर्ग फूट क्षेत्रफल का अधिभोग प्रमाण पत्र नोएडा अधीरिटी द्वारा जारी किया गया है, जिसके हिसाब से इनके द्वारा लगभग रु 1.25 करोड़ प्रति माह रखरखाव शुल्क के मद में एवं लगभग 0.5 करोड़ प्रति माह संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला सामान्य क्षेत्र में वाणिज्यिक दुकानों के मद में लिया जा रहा है। उपरोक्त अनुसार 03.03.2019 से 30.09.2019 तक लगभग रु 12 करोड़ धन एसईपीएल ने स्वयं के अकाउंट में प्राप्त एवं बिना एओए से अनुमोदन लिए स्वयं से नियुक्त सेवा प्रदाता को भुगतान किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है।


संघ के गठन के पश्चात यह सभी धन संग्रह एवं भुगतान एओए के बैंक खाते से होनी चाहिए जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

प्रवर्तक द्वारा Radius Synergies International Pvt. Ltd नामक कंपनी के सॉफ्टवेर के माध्यम से निवासियों/अपार्टमेंट स्वामियों से धन उपार्जन किया जा रहा है एवं धन व्यय में घोटाला किया जा रहा है। एओए द्वारा उपरोक्त कंपनी को लिखे पत्र पत्रांक: CTAOA/Radius/01/2019-20 दिनांक 03.10.2019 (संलग्नक 15) के माध्यम सभी विवरण साझा करने के लिए कहा गया था जो अभी तक नहीं किया गया।

• संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला सामान्य क्षेत्र को अवैध रूप बेच कर धन उपार्जन : प्रवर्तक एवं एसईपीएल द्वारा खुले क्षेत्र में, जो कि नोएडा भवन नियमावली एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला सामान्य क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र को बेचा या किसी व्यक्ति विशेष को इसका स्थायी आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रवर्तक द्वारा इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बेचा जा रहा है। इस बात की पुष्टि हेतु कृपया साथ में संलग्न पंजीकृत उप पट्टा अभिलेख से संदर्भ गृहण करें। (संलग्नक 17)

2. सरकार को राजस्व की हानि :

• जल आपूर्ति में राजस्व की हानि



CAPE TOWN ASSOCIATION OF APARTMENTS OWNERS

PLOT NO. - GH 01/A, SECTOR 74, NOIDA, DISTT- GAUTAM BUDH NAGAR, U.P

Regd. No GBN/003245/2019-20

ARUN SHARMA
President
9717596746

Mahesh Chandra Yadav
Vice President
9650208690

Krishna Kumar Sharma
Secretary
9891315949

Praveen Bhardwaj
Treasurer
9811136974

Members

Ajai Kumar Tandon

9936529111

Krishnendu Aditya

8527344322

Dr Manjula Kiran

9990434930

Sunil Dangwal

9971854226

प्रवर्तक/प्रवर्तक की सहायक कंपनी द्वारा पानी के मद में लगभग 4000 अपार्टमेंट्स से 210 प्रतिमाह धन उपार्जन किया जा रहा है जबकि प्रवर्तक द्वारा लिए गए सिर्फ 535 कनेक्शन का ही बिल जमा किया गया है, इस प्रकार पानी के मद में लगभग रु 7.5 लाख प्रति माह (सालाना रु 90 लाख) राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है।

गंगा जल कनेक्शन के लिए सभी 4000 अपार्टमेंट स्वामियों से प्रवर्तक द्वारा धन लिए गया लेकिन नोएडा अथॉरिटी की अधिकारियों की मदद से केवल 535 कनेक्शन ही आपूर्ति हेतु लिए गए, नोएडा अथॉरिटी द्वारा शेष 3500 कनेक्शन (सागत लगभग रु 3.5 करोड़) तुरंत लेने के आदेश दिये गए पर अभी तक प्रवर्तक द्वारा कनेक्शन नहीं लिए गए। (नोएडा अथॉरिटी, कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल)-प्रथम द्वारा पत्र, पत्रांक: नोएडा/व० प्र०(जल)-प्रथम/2019/545 दिनांक 22.07.2019. (संलग्नक 5)।

2015 में प्रवर्तक को लाभ पहुंचाते हुए पर्याप्त जल कनेक्शन के अभाव में ही "अधिभोग प्रमाण पत्र" जारी किया गया, जिसके कारण पिछले चार वर्षों से प्रवर्तक द्वारा 25000 निवासियों को भूजल दोहन कर जल की शेष आपूर्ति की जा रही है एवं आवंटियों द्वारा दिये जाने वाले पानी के बिल/राजस्व को स्वयं के खजाने भर रहा है। एओए द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से अपने शिकायती पत्र में लिखा परंतु अथॉरिटी द्वारा इस तथ्य को नोटिस एवं अपने पत्रों में हल्का किया गया, जिससे इस अपराध में नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों का सम्मिलित होना प्रतीत होता है।

प्रवर्तक की यह स्थिति उसकी हर परियोजना में है जहां यह सरकार के राजस्व से अपने निजी खजाने भर रहा है। इस चोरी के एक हिस्से से विभिन्न विभाग में भ्रष्टाचार कर अपने कारनामों को छुपाने में सक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त निवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। क्यों कि बिल्टर 2000 टीडीएस वाला अधोमानक जल आपूर्ति किया जा रहा है।

• बिजली आपूर्ति में प्रवर्तक द्वारा राजस्व चोरी :

प्रवर्तक/बिल्टर/प्रवर्तक की सहायक कंपनी "एसईपीएल" द्वारा 4000 से अधिक अपार्टमेंट स्वामियों को कब्जा दिया जा चुका है जिसमें लगभग 25000 निवासी निवास कर रहे हैं।

सुपर टेक द्वारा फ़िक्स्ड चार्ज के रूप में सोसाइटी में रेह रहे निवासियों से रु 1567500 (@रु 104.50 फॉर 15000 केडबल्यूएच) चार्ज किया जा रहा है जबकि बिजली विभाग को मात्र रु 455029.50 फ़िक्स्ड चार्ज के रूप में जमा किया जा रहा है जिस कारण औसत रु 11 लाख प्रति माह एवं रु 132 लाख प्रति वर्ष (राजस्व की चोरी)से स्वयं के खजाने में जमा किया जा रहा है।

सुपर टेक द्वारा सोसाइटी में रेह रहे व्यक्तियों से प्रति यूनिट 6.71 चार्ज किए जा रहे हैं जबकि विभाग को प्रति यूनिट रु 5.88 (including electricity duty) का भुगतान किया जा रहा है, जिससे राजस्व में इस बिल्टर द्वारा रु 16 लाख प्रति माह (रु 192 लाख प्रति वर्ष) सेंध लगाई जा रही है।


इन तथ्यों की पुष्टि कार्यालय प्रबंध निदेशक पी वी वी एन एस द्वारा सुपर टेक को नोटिस/पत्र पत्रांक 5462/प्र नि/प.वि.नि.ति. में/वा०/सी०2 नोएडा दिनांक 26.09.2019. (संलग्नक 6) में की गयी है।

इस आर्थिक अपराध में भी Radius Synergies International Pvt. Ltd कंपनी का सॉफ्टवेर प्रयोग हो रहा है।

3. केपटाउन सोसाइटी सेक्टर 74 में सुपरटेक इस्टेट के कारण बढ़ती गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में :

एओए द्वारा आदरणीय श्री बी एन सिंह (जिला अधिकारी -गौतम बुध नगर), आदरणीय श्री शैलेंद्र मिश्र (सिटी मैजिस्ट्रेट), आदरणीय श्री वैभव कृष्णा (एसएसपी नोएडा) एवं आदरणीय श्री अनिल कुमार सिंह (मुख्य विकास अधिकारी नोएडा) को पत्र दिनांक 15.09.2019 के माध्यम से उपरोक्त के संबंध में अवगत कराया है (संलग्नक 7,8,9 एवं 10), 25000 निवासियों को न्याय की आशा है।

4. नोएडा अथॉरिटी द्वारा की गयी मध्यस्थता बैठक दिनांक 04.06.2019 के कार्यव्रत (पत्र संख्या नोएडा/पु० हा०/2017/3127 दिनांक 19.06.2019 (संलग्नक 1), प्रवर्तक द्वारा इस कार्यव्रत पर अभी तक कार्य नहीं किया गया है।



CAPE TOWN ASSOCIATION OF APARTMENTS OWNERS

PLOT NO. - GH 01/A, SECTOR 74, NOIDA, DISTT- GAUTAM BUDH NAGAR, U.P

Regd. No GBN/003245/2019-20

ARUN SHARMA
President
9717596746

Mahesh Chandra Yadav
Vice President
9650208690

Krishna Kumar Sharma
Secretary
9891315949

Praveen Bhardwaj
Treasurer
9811136974

Members

Ajai Kumar Tandon

9936529111

Krishnendu Aditya

8527344322

Dr Manjula Kiran

9990434930

Sunil Dangwal

9971854226

केप टाउन सोसाइटी के निवासियों के प्रतिनिधि होने के नाते इस विषय पर एक अनुरोध और है कि उपरोक्त विभाग सुनिश्चित करें कि इस कार्यवाही से निवासियों को कोई परेशानी न हो जिससे उनमें असंतोष व्याप्त न हो।

vii. बिन्दु संख्या 3 में उल्लिखित निवेदन पत्र पर स्थानीय प्रशासन को कार्यवाही करने का आदेश देने की कृपा करें।

viii. बिन्दु संख्या 5 में उल्लिखित मामले में स्थानीय प्रशासन को कार्यवाही हेतु कार्यवाही करने के आदेश देने की कृपा करें।


ix. केप टाउन में पानी के कनेक्शन 535 फुट से बढ़ाकर 4413 किया जान चाहिए।

x. केप टाउन में बिजली कनेक्शन का लोड 6000 कि० वा० से बढ़ाकर 15000 कि० वा० करने के आदेश देने की कृपा करें।

xi. स्थानीय प्रशासन को नोएडा अथॉरिटी द्वारा की गयी मध्यस्थता बैठक दिनांक 04.06.2019 के कार्यव्रत (पत्र संख्या नोएडा/ग्रु० हा०/2017/3127 दिनांक 19.06.2019 (संलग्नक 1)) को कार्यान्वित करने का आदेश देने की कृपा करें, कार्यव्रत न करने की कार्यवाही सिर्फ प्रवर्तक एवं उनके सहायक कंपनी पर होनी चाहिए उसका दंड वहाँ रह रहे 25000 निवासियों पर न पड़े।

धन्यवाद।

प्रार्थी



अरुण कुमार शर्मा

अध्यक्ष

केप टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनेर्स

पता:

सी एस -8 / 1602 , केप टाउन अपार्टमेंट्स

प्लॉट संख्या - जी एच - 01 / ए ,

सेक्टर 74, नोएडा - 201301

ईमेल आई डी : yogirajarun@gmail.com

दूरभाष : 9717596746

संलग्नक : उपरोक्त अनुसार

कॉपी:

- i. सीईओ, नोएडा अथॉरिटी
- ii. जिला अधिकारी, गौतम बुध नगर
- iii. सिटी मैजिस्ट्रेट, नोएडा
- iv. मुख्य विकास अधिकारी, नोएडा
- v. एसएसपी, नोएडा
- vi. ए डी जी (ई ओ डबल्यू)
- vii. डिपार्टमेंट ऑफ रेविन्यू (यूपी)
- viii. प्रवर्तन निदेशालय, यूपी
- ix. जीएसटी - कमिश्नर

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर - 6, नौएडा।

पत्र संख्या: नौएडा/गु0हा0/2019/ 3/27

दिनांक: 19/6/19

Mediation and Conciliation Center की बैठक दिनांक 04.06.2019 का कार्यवृत्त

दिनांक 04.06.2019 को मैसर्स सुपरटेक लि0, भूखण्ड स0.जी0एच0-01ए, सैक्टर-74 की अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) की समस्याओं को सुना गया। मैसर्स सुपरटेक लि0 की ओर से श्री जी0एल0 खेरा, निदेशक, श्री अनिल शर्मा, निदेशक एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित हुये। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आई0बी0एस0) की अध्यक्षता में उक्त सोसायटी की ए0ओ0ए0 द्वारा उठायी गयी समस्याओं को सुना गया, जिसमें विशेष कार्यधिकारी (आर0के0) एवं नियोजन विभाग के श्री मुकेश गोयल की उपस्थिति में ए0ओ0ए0 की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु मैसर्स सुपरटेक लि0 के प्रतिनिधि श्री जी0एल0 खेरा, निदेशक, श्री अनिल शर्मा, निदेशक एवं अन्य सदस्यगण को निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1. Conversion of Roads into open parking and its sales.

सोसायटी की अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा सड़कों का रूपांतरण ओपन कार पार्किंग में परिवर्तित कर विक्रय कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा प्रमोटर को पत्र दिनांक 30.05.2019 के द्वारा 07 दिन के अन्दर आपत्तियों का निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग को पुनः नौके पर निरीक्षण कराकर प्रमोटर का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही ओपन कार पार्किंग को स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप पार्किंग/हरित रक्षणा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

2. Builder Supertech has not completed second basement parking.

सोसायटी की अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर ने दूसरा बेसमेन्ट पार्किंग पूर्ण नहीं किया गया है। निवासियों को अन्य बेसमेन्ट में पार्किंग का आवंटन किया गया है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर को स्वीकृत मानचित्र के अनुसार तत्काल बेसमेन्ट पार्किंग की समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

3. Open Car Parking are part of Common Area.

सोसायटी की अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय एवं नौएडा प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत सोसायटी की ओपन पार्किंग कॉमन एरिया का हिस्सा है जो सोसायटी के अतिथियों हेतु आरक्षित होना चाहिए एवं अलग-अलग फ्लैट आवंटियों को विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमोटर को आवंटियों एवं सोसायटी के अतिथियों हेतु नौएडा भवन नियमावली के अनुरूप समुचित पार्किंग की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

4. Builder is not providing desired document and support for registration for AOA.

सोसायटी की अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा निर्वाचित अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) के पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज एवं समर्थन प्रदान नहीं कर रहा है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर को निर्वाचित अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) के साथ बैठक कर वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने एवं पंजीकरण कराने के निर्देश दिये गये।

5. Water Connection

सोसायटी की अर्पाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा सोसायटी में लगभग 4000 फ्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है जबकि पानी का कनेक्शन केवल 535 फ्लैट्स की आवश्यकतानुसार ही लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के जल विभाग से आख्या प्राप्त की जानी है कि बिस्डर

को शेष कितने फ्लैट्स के कनेक्शन की आवश्यकता है तथा सोसायटी के मांग के अनुरूप पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था को कुल 40 दिन के अन्दर पूर्ण की जानी है।

6. Electricity Connection

सोसायटी की अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (एओओएओ) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा सोसायटी में फ्लैट्स अवंटियों को परिधोजना में कुल 15000 के0वी0 का विद्युत भार विकस्य किया गया है, जबकि पावर कॉन्फोरेशन से केवल 6000 के0वी0 की आपूर्ति की जा रही है, जिस कारण सोसायटी में विद्युत की निरन्तर समस्या बनी हुई है। इस सम्बन्ध में पावर कॉन्फोरेशन से सोसायटी में निरीक्षण कराकर विल्टर को निर्देशित कर आवश्यकतानुसार निर्वाह विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

7. Sewage Treatment Plant (STP)/drainage & rainwater harvesting system.

सोसायटी की अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (एओओएओ) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा सोसायटी में आवश्यकता के अनुरूप Sewage Treatment Plant (STP) /drainage & rainwater harvesting system की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण मानसून के समय बेसामेन्ट में जलमसाल की समस्या बन जाती है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर द्वारा अवगत कराया है कि Sewage Treatment Plant (STP) की प्रयाप्त व्यवस्था है तथा जलमसाल की समस्या का निस्तारण कर समस्या का निदान कराया जायेगा।

8. Turbo Ventilator in basement

सोसायटी की अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (एओओएओ) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा भूमिगत पार्किंग में Ventillation की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण निवासियों के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर द्वारा अवगत कराया कि भूमिगत पार्किंग में Ventillation की समुचित व्यवस्था हेतु Turbo Ventilator fan लगवा दिये जायेंगे।

9. Encroaching Society Common and Green Area.

सोसायटी की अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (एओओएओ) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा सोसायटी के कॉमन /हरित क्षेत्र में किचोस्क एवं दुकानें चलायी जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर को नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 09.01.2019 को वाणिज्यिक गतिविधि तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने तथा भवन मानचित्रों में जिस स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, केवल उसी स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सोसायटी के कॉमन /हरित क्षेत्र से किचोस्क एवं दुकानों को सील करने के निर्देश दिये गये।

10. Basic Amenities

सोसायटी की अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (एओओएओ) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमोटर द्वारा सोसायटी में बेसिक सुविधाओं सुझा, सेफ्टी, कॉमन एरिया में पीने का पानी, ठोस कचरा प्रबन्धन, सोसायटी के रखरखाव शुल्क इत्यादि में पारदर्शिता नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर को सोसायटी की अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन (एओओएओ) से सभी दरतावेज एवं लेखा-जोखा साझा करने के निर्देश दिये गये।

(अरुण कुमार वर्मा)

उप प्रबन्धक (गु0हा0)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आई0वी0एस0) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. Sh. Arun Sharma, flat No.CS-8/1602, President, M/s Cape Town Apartment Owners Association, Plot No.GH-01A, Sector-74, Noida. को सूचनार्थ।
3. M/S SUPERTECH LTD., B-28 & 29, Sector-58, Noida. को इस आशय से प्रेषित कि तत्पश्चात् किन्तुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन/भवन प्रकोष्ठ) को इस अनुसंध के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उप प्रबन्धक (गु0हा0)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या :- नौएडा/मु0वा0नि0/2019/ 255

दिनांक :- 30-5-2019

मै0 सुपरस्टेक लि0


वी-28 व 29, सेक्टर-58, नौएडा

आपकी ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0-01ए, (केप टाऊन) सेक्टर-74, नौएडा केप टाऊन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स के पदाधिकारियों ने दिनांक 24.04.2019 व 10.05.2019 को आपके विरुद्ध शिकायत के क्रम में आपके प्रतिनिधि, ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं प्राधिकरण द्वारा स्थल के निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि आपके द्वारा निम्न आपत्तियों का निराकरण वर्तमान तक नहीं किया गया है:-

1. स्थल पर निर्मित/निर्माणधीन योजना के विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत हरित/खुले क्षेत्र को बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के पार्किंग में Convert परिवर्तित कर दिया गया है, जोकि अवैध है, अतः आप स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप पार्किंग/हरित रखना सुनिश्चित करें।
2. परिसर में स्थित कम्युनिटी सेन्टर के रवीमिंग पुल के साथ खुले क्षेत्र में केप-कैफे-74, फ्लय-2 में रेस्टोरेन्ट एवं सैलून का संचालन किया जा रहा है, जोकि वाणिज्यिक श्रेणी के अन्तर्गत है। आप कम्युनिटी सेन्टर से वाणिज्यिक गतिविधि को तत्काल प्रभाव से बन्द कर प्राधिकरण को सूचित करें एवं प्राधिकरण द्वारा निर्गत रामापन भवन मानचित्रों में जिस स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि हेतु स्वीकृती प्रदान की गई है, उसी स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन करना सुनिश्चित करें।
3. आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के अन्तर्गत निर्मित तहखाने में पानी के लीकेज का कार्य ठीक किया जा रहा है परन्तु आपके द्वारा वर्तमान तक पानी के लीकेज को पूर्णतः ठीक नहीं किया गया है अतः आप तहखाने में पानी की लीकेज को तत्काल ठीक कराये एवं तहखाने में वेंटिलेशन हेतु मध्य प्रकाश/वायु परिसंचरण (Light & Air Ventilation) सुनिश्चित कराये।
4. सन्दर्भित योजना के एस0टी0पी0 कार्यशील नहीं है तथा आपके द्वारा सीवर का डिस्पोजल नौएडा प्राधिकरण के ड्रेन एवं मेन होल में किया जा रहा है। स्थल पर एस0टी0पी0 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
5. सभी फ्लैट स्वामी को पानी की सप्लाई एवं विद्युत नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।
6. आपके द्वारा योजना क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु आवेदन किया गया है, जिसके क्रम में आप योजना के अन्तर्गत फ्लैट स्वामियों से वर्तमान तिथि में लिखित सहमति पत्र एवं - केप टाऊन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, जिसके उपरान्त ही क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आपत्तियों का निराकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर करें अन्यथा आपके विरुद्ध नौएडा भवन विनियमावली, 2010 एवं पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


dc


महाप्रबन्धक(नियोजन)
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(आई0डी0ए0आर0) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कार्यधिकारी(मु0हा0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. केप टाऊन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स ऑनर्स, ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0-01ए, सेक्टर-74, नौएडा को सूचनार्थ।

dc


महाप्रबन्धक(नियोजन)
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर

पत्र सं० नौएडा/मु०या०नि०/2019/ 326

दिनांक 03-7-2019


मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड,
बी - 28, 29, सैक्टर - 58, नौएडा, उ०प्र०

नोटिस

प्राधिकरण की गठित Mediation and Conciliation Center की दिनांक 04.06.2019 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आपकी ग्रुप हाऊसिंग योजना भूखण्ड सं० जी०एच०-०१/ए, सैक्टर-74, नौएडा में सुपरटेक लि० के विरुद्ध केप टॉऊन एसोसिएशन एण्ड अपार्टमेंट की शिकायत के सम्बन्ध में बैठक हुई, जिसके क्रम में आपके एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ-स्थल का निरीक्षण किया गया एवं प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.05.2019 को प्रेषित पत्र में उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में स्थल पर भौतिक सत्यापन कराया गया। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नलिखित आपत्तियों का निराकरण करें -


1. स्थल पर स्वीकृत हरित/खुले क्षेत्र को बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के पार्किंग में (Convert) परिवर्तित कर दिया गया है, जोकि अवैध है; अतः आप स्थल पर स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसूच पार्किंग/हरित रखना सुनिश्चित करें।
2. परिसर में स्थित कम्युनिटी सेन्टर के स्वीमिंग पुल के साथ खुले क्षेत्र में केप-कैफे-74, क्लब-2 में रेस्टोरेन्ट एवं सैलून का संचालन किया जा रहा है, जोकि स्वीकृत/अधिमोग प्रमाण पत्र में स्वीकृत नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्गत समापन भवन मानचित्रों में जिस स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि हेतु स्वीकृती प्रदान की गई है, उसी स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन करना सुनिश्चित करें।
3. आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के अन्तर्गत निर्मित तहखाने में पानी के लीकेज का कार्य ठीक किया जा रहा है परन्तु आपके द्वारा वर्तमान तक पानी के लीकेज को पूर्णतः ठीक नहीं किया गया है अतः आप तहखाने में पानी की लीकेज को तत्काल ठीक कराये एवं तहखाने में वेंटिलेशन हेतु मध्य प्रकाश/वायु परिसंचरण (Light & Air Ventilation) सुनिश्चित कराये।
4. सभी फ्लैट स्वामी को पानी की सप्लाई एवं विद्युत नियमानुसार कथना सुनिश्चित करें।
5. आपके द्वारा योजना क्रय योग्य एफ०ए०आर० हेतु आवेदन किया गया है, जिसके क्रम में आप योजना के अन्तर्गत फ्लैट स्वामियों से वर्तमान तिथि में लिखित सहमति पत्र एवं 3 केप टॉऊन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, जिसके उपरान्त ही क्रय योग्य एफ०ए०आर० हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आपत्तियों का निराकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर करें अन्यथा आपके विरुद्ध नौएडा भवन विनियमावली, 2010 एवं पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


महाप्रबन्धक(नियोजन)
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(आई०बी०एस०) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कार्यधिकारी(ग्रु०हा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. केप टाऊन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स ऑनर्स, ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं० जी०एच०-०१/ए, सैक्टर-74, नौएडा को सूचनार्थ।


महाप्रबन्धक(नियोजन)
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6 नौएडा, जि. नौतमबुद्ध नगर

पत्र सं० नौएडा/गुणवत्ता/2019/441

दिनांक 2-9-19

मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड,

बी - 28, 29, सैक्टर - 58, नौएडा, उ०प्र०

अंतिम नोटिस

प्राधिकरण की गठित Mediation and Conciliation Center की दिनांक 04.06.2019 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजी ग्रुप हाउसिंग योजना भूखण्ड सं० जी०एच०-०१/ए, सैक्टर-७४, नौएडा में सुपरटेक लि० के विरुद्ध कंप डॉउन एंजोशिएशन एण्ड अपार्टमेंट की शिकायत के सम्बन्ध में बैठक हुई, जिसके क्रम में आपके एवं एंजोशिएशन के पदाधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया एवं प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.05.2019 को प्रेषित पत्र में उलाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में स्थल पर भौतिक सात्यापन कराया गया। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नलिखित आपत्तियों के निराकरण हेतु प्राधिकरण के पत्र दिनांक 03.07.2019 व 26.07.2019 को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा सूचित अपत्तियों का निराकरण वर्तमान तक नहीं किया गया है, जोकि निम्नवत है :-

1. स्थल पर स्वीकृत हरित/खुले क्षेत्र को बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के पार्किंग में (Convert) परिवर्तित कर दिया गया है, जोकि अवैध है, अतः आप स्थल पर स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसूच पार्किंग/हरित रचना सुनिश्चित करें।
2. परिसर में स्थित कम्युनिटी सेन्टर के रवीमिंग पुल के साथ खुले क्षेत्र में जेप-जैफे-७४, क्लब-२ में सेक्टर-२ एवं सैलून का संचालन किया जा रहा है, जोकि स्वीकृत/अधिगोच प्रमाण पत्र में स्वीकृत नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समाप्त भवन मानचित्रों में जिस स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधि हेतु स्वीकृती प्रदान की गई है, उसी स्थान वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन करना सुनिश्चित करें।
3. आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के अन्तर्गत निर्मित तहरखाने में पानी के लीकेज का कार्य ठीक। जा रहा है परन्तु आपके द्वारा वर्तमान तक पानी के लीकेज को पूर्णतः ठीक नहीं किया गया है। अतः आप तहरख पानी की लीकेज को तत्काल ठीक कराये एवं तहरखाने में वेंटिलेशन हेतु गज प्रकाश/वायु परिसंचरण (Light & Air Ventilation) सुनिश्चित कराएँ।
4. सभी फ्लैट स्वामी को पानी की सप्लाई एवं विद्युत निशमानुसार करना सुनिश्चित करें।
5. आपके द्वारा योजना क्रय योग्य एच०एच०आर० हेतु आवेदन किया गया है, जिसके क्रम में आप योजना के अन्तर्गत फ्लैट स्वामियों से वर्तमान तिथि में लिखित सहमति पत्र एवं ३ कंप डॉउन एंजोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, जिसके उपरान्त ही क्रय योग्य एच०एच०आर० हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आपत्तियों का निराकरण इस अंतिम नोटिस जारी होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर वने अन्तथा आपके विरुद्ध नौएडा भवन विनियमावली, 2010 एवं पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

वरि० प्रबन्धक(नियोजन)
नौएडा

प्रतिनिधि:-

1. विशेष कार्यधिकारी(गुणवत्ता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरि० प्रबन्धक(नियोजन)
नौएडा

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

संख्या 40014119012579

संज्ञक संख्या:

लाभार्थी का विवरण

नाम	Arun Sharma	पिता/पति का नाम	
मोबाइल नंबर(1)	9717596744	मोबाइल नंबर(2)	
आधार कार्ड नं.	43A000000075	पता	10/10, jansunwai.com
राज्य		जन्म	
संघ क्षेत्र		पेशा	
पता		लिंग	
संस्था	Arun Sharma Flat No. CNR 1062 Capetown GHA A Sector 74 Noida		

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	Kindly note that builder Supertech is not following the instructions of Noida Authority given in the resolution meeting held on 2.9.19 between Apartment Owners Association, Builder and Noida ACOE. 20000 residents residing in 100 flats of Capetown society GHA A Sector 74 Noida are suffering for basic needs like water supply, parking and poor basement conditions. Kindly refer attached meeting minutes MOM and notes of authority. Kindly instruct the builder to implement MOM orders. Regd. Sharda Arun Sharma, President AOA Capetown GHA A Sector 74 Noida Ph. 9717596744		
संज्ञक दिनांक	16-08-2019	संज्ञक संख्या की श्रेणी	
विभाग	आवासीय एवं औद्योगिक विकास	शिकायत की	आवासीय विकास अधिकरण लखनऊ

लाभार्थी का विवरण/ शिकायत क्षेत्र का

लाभार्थी द्वारा दिया गया फीडबैक

अवधारित विवरण-

क्र.सं.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	प्राप्त/आपत्ति दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अवेदन	अमित कुमार सन्दर्भ	16 - Aug - 2019	15 - Sep - 2019	मुख्य कार्यपालक अधिकारी - नवीन अधिकारी औद्योगिक विकास अधिकरण, लखनऊ		कार्यालय द्वारा पत्र लखित

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के हतर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6

नोएडा

पत्र सं० नोएडा/गु0हा10/2019/4852
दिनांक 30-8-19

M/s. Supertech Ltd.
B-28-29 Sector-58
Noida.

विषय IGRS जन सुनवाई के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत संख्या-
40014119017579 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

कृपया www.jansunwai.up.nic.in पर श्री अरुण शर्मा द्वारा शिकायत दर्ज करायी गई है जो सीधे लोक शिकायत अनुभाग-5 (जन सुनवाई/IGRS) मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा संचालित है।

उक्त शिकायती पत्र के माध्यम से श्री अरुण शर्मा द्वारा प्राधिकरण को य. अवगत कराया गया है कि सेक्टर-74 नोएडा स्थित आपकी परियोजना सुपरटेक कंपट्रासन के सम्बन्ध में दिनांक 4.6.2019 को हुई मीडिएशन एण्ड कॉन्सोलिडेशन की बैठक में प्राधिकरण द्वारा आपको दिये गये निर्देशों का पालन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री अरुण शर्मा की शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए कृत कार्यवाही से प्राधिकरण के गुप हाउसिंग विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

उप प्रबंधक (गुप हाउसिंग)
etc.

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)-प्रथम

वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, सैक्टर-05, नौएडा

पत्रांक:नौएडा/व0प्र0(जल)-प्रथम/2019/ 545

दिनांक- 22/7/19

श्री आरु को अरोहा (मैनेजिंग डायरेक्टर)
मै0 सुपरटेक लि0
बी0-28, 29, सैक्टर-58,
नौएडा।

विषय- जल/सीवर संयोजन के संयोजन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- दिनांक 04.06.2019 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आई0वी0एस0) महोदय की अध्यक्षता में कोपटाउन सोसाइटी की १० ओ0 १० सदस्यों द्वारा उठाई गयी समस्याओं के सम्बन्ध में।

दिनांक 04.06.2019 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आई0वी0एस0) महोदय की अध्यक्षता में कोपटाउन सोसाइटी के १० ओ0 १० सदस्यों द्वारा सोसाइटी से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं से उनको अवगत कराया गया। जिसके क्रम में उप महाप्रबन्धक (गु0हा0) द्वारा बैठक का कार्यवाही जारी किया गया है। बैठक में १० ओ0 १० सदस्यों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सोसाइटी में लगभग 4000 प्लेटस का निर्माण पूरा कर जायंटियों को कब्जा दे दिया गया है। जबकि आपके द्वारा जल विभाग से केवल 535 प्लेटस हेतु जल/सीवर संयोजन लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शेष निर्मित प्लेटस के जल/सीवर संयोजन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(मुकेश कुमार जैन)
वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)-प्रथम
सैक्टर-05, नौएडा।

संज्ञित-

उप महाप्रबन्धक (जल) महोदय को सादर सूचनाय।

उप महाप्रबन्धक (गु0हा0) को उनके पत्र सं0 नौएडा/गु0हा0/2019/3127, दि0-19.06.19 एवं 3421, दि0-03.07.19 के अनुपालन में सादर सूचनाय।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल राजस्व) को इस आशय के साथ कि जल/सीवर संयोजन हेतु अपने स्तर से भी प्रयास करने की कृपया करें।

श्री अरुण सोनी (अध्यक्ष) कोपटाउन सोसाइटी, पिन- 16 GS-08/602, Sector-74, Noida को सादर सूचनाय।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सी) / श्री अनिल कुमार वर्मा (अपर अभियंता) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(मुकेश कुमार जैन)
वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)-प्रथम
सैक्टर-05, नौएडा।